न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 14/2020 (जीसीएमएस नम्बर– 2020/00023)

1. शिवराम पुत्र नारायण, जाति गुर्जर, निवासी रायपुरा गूजरान, तहसील सिकराय, जिला दौसा राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सिकराय, जिला दौसा राज0।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 06.12.2017 अपील संख्या 131/2017 उनवानी शिवराम बनाम राज0 सरकार व निर्णय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा दिनांक 27.11.2017 प्रकरण संख्या 87/2016 में पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–30.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.12.2017 एवं तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2073 में वाके ग्राम रायपुरा गूजरान की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.04 है0 किस्म चरागाह पर अतिक्रमण कर मकान (पक्का निर्माण) व बाड़ा बनाकर कब्जे करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा दिनांक 27.11.2017 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 06.12.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये व अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना तथा कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए बिना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा भूमि का अपीलाण्ट के सामने सीमाज्ञान भी नहीं किया गया तथा अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब भी पेश कर दिया था। जिसमें अपीलाण्ट का अतिक्रमण नहीं होने का कथन किया गया था, जिसकी कोई जांच नहीं करवाई गई तथा अपीलाण्ट का मकान स्वयं की खातेदारी भूमि में है। जिसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट के सामने कोई सीमाज्ञान नहीं करवाया गया तथा मनमाना निर्णय पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश कर यह निवेदन किया कि अपीलाण्ट का मौके पर स्वयं की खातेदारी भूमि पर मकान बना हुआ है तथा अन्य किसी भी सरकारी भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य प्रार्थना पत्र अन्तरिम स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 06.12.2017 अपील संख्या 131/2017 व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा दिनांक 27.11.2017 प्रकरण संख्या 87/2016 उनवान सरकार बनाम शिवराम को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2073 में वाके ग्राम रायपुरा गूजरान की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.04 है0 किस्म चरागाह की भूमि पर मकान (पक्का निर्माण) व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 27.11.2017 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तरिम स्थगन अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का ठीकरिया एवं भू-अभिलेख निरीक्षक मानपुर द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत 2073 में वाके ग्राम रायपुरा गूजरान की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.04 है0 किस्म चरागाह की भूमि पर मकान (पक्का निर्माण) व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.12.2017 में यह माना है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उसके सामने सीमाज्ञान होना स्वीकार किया है तथा हस्ताक्षर भी किये हैं। जिसके फलस्वरूप स्थगन जारी किया जाना उचित नहीं माना जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलार्थी अपनी अपील में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात, तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जिससे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत होती हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.12.2017 एवं तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर